क्र./म.पा.सं.वि./(स्था)/2025/161 दिनांक 17/07/25

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, देवास मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)

क्रं./मपासंवि/ उज्जैन, दिनांक

कुलगुरु आवास हेतु 4 BHK, 2 कार पार्किंग,कार्यालय कक्षा, गार्ड रूम एवं गार्ड हेतु बाहर लेट-बाथ सुविधा के साथ भवन किराये पर चाहिए. अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.mpsvv.ac.in देखे

कुलसचिव

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

देवास मार्ग,
उज्जैन (मध्यप्रदेश) पिन -456010
E-mail- regpsvvmp@rediffmail.com
Website - www.mpsvv.ac.in

क्र./मपासंवि/स्था./2025/ दिनांक

विज्ञापन

(माननीय कुलगुरु के लिए आवास किराये पर लेने हेतु शर्तें)

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा आवासीय भवन किराये पर लिया जाना प्रस्तावित है, जिसकी न्यूनतम आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं :-

I. अपेक्षित सुविधाएँ:

1. न्यूनतम 4 BHK (चार शयनकक्ष, एक बैठक, एक भोजन कक्ष, एक रसोईघर)
2. बाहरी सुरक्षा (गार्ड) हेतु पृथक गार्ड रूम
3. हाउस हेल्प / हार्ड स्टाफ हेतु पृथक शौचालय / स्नानगृह की सुविधा
4. कार पार्किंग हेतु समुचित स्थान (कम से कम दो वाहन)
5. एक कक्ष कार्यालय उपयोग हेतु उपयुक्त रूप से अलग से हो (ऑफिस रूम)
6. स्वच्छ, शांत, सुरक्षित एवं प्रतिष्ठित क्षेत्र में हो (विशेष रूप से विश्वविद्यालय से 5 किमी की परिधि में स्थित)

II. अतिरिक्त विशेषताएँ (वांछनीय) :

1. बगीचा / लॉन की उपलब्धता
2. 24x7 जल एवं विद्युत आपूर्ति
3. स्वतंत्र प्रवेश / निकास

III. आवश्यक दस्तावेज़:

1. संपत्ति का वैध स्वामित्व प्रमाण (Registry/नामान्तरण)
2. भवन निर्माण अनुज्ञा / नक्शा पास प्रमाण (यदि उपलब्ध हो)
3. भवन स्वामी का आधार कार्ड / पैन कार्ड की प्रति
4. किरायानामा अनुबंध हेतु सहमति पत्र

IV. प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि: - 14/08/2025 अपराह्न 01:00 बजे तक भवन का संक्षिप्त विवरण, फोटोग्राफ, एवं किराया प्रस्ताव (Rent Quotation) के साथ सीलबंद लिफ़ाफ़े में कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) के नाम से कार्यालय में प्रस्तुत करें या regpsvvmp@rediffmail.com पर ईमेल प्रेषित करें।

V. आवश्यक शर्तें (Terms & Conditions):

1. किरायानामा अनुबंध न्यूनतम 11 माह के लिए किया जाएगा, जिसे आवश्यकता अनुसार घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
2. भवन संवेदनशील पद पर कार्यरत माननीय कुलपति महोदय के आवास हेतु होगा, अतः परिसर में गोपनीयता, शांति एवं सुरक्षा अनिवार्य होगी।
3. भवन में कोई विवाद, मुकदमा, सहस्वामित्व संघर्ष नहीं होना चाहिए।
4. भवन फर्निश्ड अथवा सेमी-फर्निश्ड हो सकता है, जिसकी स्पष्ट जानकारी किराया प्रस्ताव के साथ दें।
5. विद्युत / जल / मेंटेनेंस संबंधी व्यय पर स्पष्ट शर्तें प्रस्ताव में लिखित रूप से दें।
6. विश्वविद्यालय द्वारा भवन का निरीक्षण एवं उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा।
7. भवन स्वामी को विश्वविद्यालय के नाम से रेंट रसीद / GST बिल (यदि लागू हो) जारी करना होगा।
8. संपत्ति पर किसी प्रकार का ऋण/हाइपोथीकेशन/लीन नहीं होना चाहिए।
9. कोई भी लीगल आपत्ति या वाद - विवाद में उत्पन्न न हो, इसके लिए एक स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration Affidavit) संलग्न किया जाना आवश्यक है।

कुलसचिव